राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प.6(179)परि/कर/मु./2012 55830-35 जयपुर, दिनांकः 28/08/2014

कार्यालय आदेश 23/2014

विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.6(179)परि/टेक्स/एच.क्यू./95/22 C दिनांक 14.07.2014 के द्वारा परिवहन यानों पर एक मुश्त कर आरोपण किया गया है, जिसमें कुछ श्रेणी के वाहनों पर अनिवार्य रूप से एक मुश्त कर जमा कराने का प्रावधान है तथा शेष अन्य श्रेणियों पर एक मुश्त कर का विकल्प चयन कर जमा कराया जा सकता है। इसी क्रम में परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.6 (179)परि/टेक्स/एच.क्यू./95/2 दिनांक 14.07.2014 के द्वारा टेक्सी एवं मैक्सी श्रेणी के वाहन तथा 3001 से 7500 कि.ग्रा. तक जी.वी.डब्ल्यू. के भार वाहनों पर अनिवार्य रूप से एक मुश्त कर आरोपित किया गया है। एक मुश्त कर का भुगतान पंजियन के समय एक बार अथवा समान राशि की 6 किश्तों में नियमित अंतराल पर किये जाने के लिए राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 4(AAA) में संशोधन किया गया है। इन श्रेणियों के दिनांक 01.08.2014 या उसके बाद पंजिकृत होने वाले वाहनों के लिये, यदि वाहन स्वामी द्वारा एक मुश्त कर को किश्तों में जमा कराये जाने का आवेदन किया जाता है, तो कराधान अधिकारी द्वारा किस्त आदेश प्रसारित किया जायेगा, तथा किस्तों का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा –

प्रथम किस्त – वाहन पंजीयन की दिनांक।
द्वितीय किस्त – वाहन पंजियन की दिनांक से 73 वे दिवस तक।
तृतीय किस्त – वाहन पंजियन की दिनांक से 146 वें दिवस तक।
चतुर्थ किस्त – वाहन पंजियन की दिनांक से 219 वें दिवस तक।
पंचम किस्त – वाहन पंजियन की दिनांक से 292 वें दिवस तक।
छठी किस्त – वाहन पंजियन की दिनांक से 365 वें दिवस तक।

किस्त के भुगतान हेतु नियत दिनांक तक भुगतान नही किये जाने की स्थिती में शास्ति नियमानुसार देय होगी। दिनांक 01.08.2014 से पूर्व क्रय किये वाहनों के पंजियन करते समय, पूर्व अवधि के लिये पृथक से नियमानुसार कर एवं विलम्ब के लिए शास्ति यदि हो तो वसूल किया जावे। दिनांक 01.08.2014 से पूर्व पंजिकृत टेक्सी/मैक्सी तथा 3001–7500 कि.ग्रा. जी.वी.डब्ल्यू. तक के भार वाहनों द्वारा एक मुश्त कर का विकल्प लेने पर भी नियमानुसार कर की गणना कर उपरोक्तानुसार एक मुश्त कर का भुगतान किश्तों में किया जा सकता है।

एक मुश्त कर का किस्तों में भुगतान करने वाले वाहनों का पृथक से देय किस्तों एवं जमा कर के रिकॉर्ड संधारण प्रोफॉर्मा 'A' के अनुसार किया जावें तथा इसकी सूचना प्रतिमाह संलग्न प्रोफॉर्मा 'B' के अनुसार इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावें।

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः– प.6(179)परि/कर/मु./2012 55830-35 जयपुर, दिनांक 21/08/2014
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त ।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त।
4. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
5. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
6. श्री संजय सिंघल, एसीपी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
7. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र।
8. रक्षित पत्रावली।

20/8/2014

अपर परिवहन आयुक्त(कर)

<u>प्राफार्मा – 'A'</u>

क्र. सं.	वाहन संख्या एवं प्रकार	कर का प्रकार	किस्ते स्वीकृत करने वाले अधिकारी का पदनाम	कुल राशि जिसकी किस्ते की गई	किस्त की राशि का विवरण				बकाया राशि व शास्ति व गणना की दिनांक	हस्ताक्षर
					राशि	अन्तिम दिनांक	राशि	जमा की दिनांक		

<u>प्राफार्मा – 'B'</u>

क्र.सं.	वाहन की श्रेणी	वाहनों की कुल संख्या जिसकी किश्तें की गई है	कुल राशि जिसकी किश्ते की गई	निर्धारित तिथि तक किश्तो का भुगतान नही किए जाने वाले	
				वाहनों की कुल संख्या	बकाया राशि
	भार वाहन				
	मोटर केब				
	मेक्सी केब				
	मिनी बस				
	बस				
	अन्य				